न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/5

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
पिंकी देवी धर्मपत्नी श्यामगिरी जाति गोस्वामी निवासी देवली हुल्ला तह.सोजत जिला पाली		सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार बगड़ीनगर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-1-2023

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बगड़ी नगर के राजस्व प्रकरण संख्या 516/2022 सरकार बनाम पिंकीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का मुरडावा ने अपीलाण्ट को मौजा देवली हुल्ला के खसरा नम्बर 434,435 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बारानी मगरी पर अतिक्रमी मानते हुए, टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार बगड़ी नगर के समक्ष पेश की, जिस पर उप तहसीलदार बगड़ी नगर ने प्रकरण संख्या 516/2022 दर्ज कर अपीलार्थी पर विधि अनुसार तामिल करवाये बिना तथा उसको जवाव,साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मनमाने तौर पर निर्णय पारित किया है जो विधि–विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को पेशी तारीख 7.12.2022 के लिए नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलार्थी की बेटी पर तामिल करवाया जाना व तारीख पेशी पर अपीलार्थी की बेटी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आना और अतिक्रमण करना स्वीकार करना आदेशिका में दर्ज किया जबकि पेशी तारीख दिनांक 7.12.2022 को कोई नोटिस अपीलार्थी की बेटी ने प्राप्त नही किया ओर न ही अपीलार्थी की बेटी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई। अपीलार्थी व उसकी पत्नी के विरूद्ध गलत एवं झूठे प्रकरण बनाकर जैर अपील निर्णय द्वेषभावना से प्रेरित होकर अपीलार्थी पर विधि व नियमानुसार नोटिस तामिल करवाये बिना अपीलार्थी से रंजिश रखने वालो के समक्ष झूठी चस्पांदगी की रिपोर्ट करवाकर जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को पेशी तारीख 27.12.2022 के लिए जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की ''नोटिस अदम तामिल'' प्रेषित करना दर्ज है फिर भी अधीन न्यायालय ने नोटिस तामिल मानकर द्वेषभावना से अपीलार्थी को जवाब साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलार्थी को बिना किसी साक्ष्य के पश्चातृवर्ति अतिकमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दंडित किया जो विधि–विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया तथा प्रकरण में बिना साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया। उप तहसीलदार बगड़ी नगर द्वारा अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से आदेश पारित कर 03 माह सिविल कारावास एवं बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी

अति. जिला कलक्टर, पाली

व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी पर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट का मौजा देवली हुल्ला के खसरा नम्बर 434,435 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मंगरी भूमि पर नाजायत तौर से पक्की बाउड्री/बाड़ा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। अपीलाण्ट का जैर आराजी पर पुनः अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की पश्चातवर्ती टी.पी. पेश गई जिसके आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व पुनः धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्टा आदतन अतिचारी है तथा वर्तमान में भी जैर आराजी भूमि पर पक्की बाउड्री एवं बाडा बना कर कब्जा कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पटवारी हल्का मुरड़िया की मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी मुरड़िया ने अपीलाण्ट द्वारा मौजा देवली हुल्ला के खसरा नम्बर 434,435 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैरमुमकिन मगरी भूमि पर पक्की बाउडी एवं बाडा बनाकर अतिक्रमण करने से टी.पी. रिपोर्ट उप तहसीलदार बगड़ी नगर के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 516/2022 बअनवान सरकार बनाम पिकीं देवी दर्ज करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्ट की पुत्री ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अपीलाण्ट स्वयं को दिनांक 12.12.2022 एवं पुनः 27.12.2022 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट मौका स्थल पर नही मिला। अपीलाण्ट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही हुआ। अपीलाण्ट को पूर्व में भी जैर आराजी से अपना अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन आदिनांक तक अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी से अपना अतिक्रमण नही हटाया है। जैर अपील आराजी के संबंध में पटवारी हल्का मुरड़िया से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर आज भी अतिक्रमण निर्बाध रूप से जारी है तथा उस पर पक्की बाउड्री एवं बाडा बनाया हुआ है जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है। इससे अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट आदतन अतिचारी है जिससे जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। उप तहसीलदार बगड़ी नगर के प्रकरण संख्या 516/2022 बअनवान सरकार बनाम पिंकीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 को यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार बगड़ी नगर को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली